प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्र. 181/2003

अपीलार्थीगण (वादीगण) **मंगला एवं अन्य**

बनाम

प्रत्यर्थीगण (अनावेदकगण) **धुरुवा और अन्य**

निर्णय सुनाने जाने हेतु नियत तिथि : 19/03/2012

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

एन.के. अग्रवाल

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

<u>द्वितीय अपील क्र. 181/2003</u>

<u>अपीलार्थीगण (वादीगण)</u>

1. मंगला, उम्र लगभग 48 वर्ष, पिता समरु सतनामी, निवासी ग्राम नंदनी कुंदनी, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

2. हेमलाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता उत्तम सिंह, निवासी ग्राम बागदुमार, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण (प्रतिवादीगण)

1. धुरुवा, उम्र लगभग 44 वर्ष, पिता श्यामरतन, निवासी नंदिनी कुंदनी, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. सुखचंद, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता नंदू,

3. पंचू, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता नंदू।

प्रत्यर्थी क्र. 2 और 3 निवासी ग्राम नंदिनी खुंदिनी, तहसील और जिला दुर्ग (छ.ग.)

4. (क) धुन्नू, पिता उदेराम,

(ख) धीरवाल, पिता उदेराम,

(ग) डेरहा, पिता उदेराम,

उपरोक्त क, ख एवं ग, निवासी ग्राम एवं पोस्ट गिरहोल, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

(घ) बियांबई, पति सुमन सतनामी, ग्राम पेंडारी तराई, डाकघर गिरहोल, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

(ङ) उषा बाई एवं भूरीबाई, पति कार्तिक सतनामी, ग्राम लिमतरा, डाकघर नरथा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

5. कृष्णा बाई, उम्र लगभग 42 वर्ष, पति ना मालूम, पिता नंदू सतनामी, निवासी ग्राम पिसेगांव, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)
6. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

प्रत्यर्थीगण (वादीगण)

7. पंडित, उम्र लगभग 48 वर्ष, पिता परसादी, निवासी ग्राम कंदाई, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)
8. राजेंद्र, उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता साधु
9. रविंद्र, उम्र लगभग 11 वर्ष, नाबालिग, पिता साधु, द्वारा विधिक अभिभावक ज्येष्ठ भ्राता राजेंद्र हैं, प्रत्यर्थी क्र. 8 और 9 निवासी ग्राम कदाई, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत द्वितीय अपील</u>

एकलपीठ : माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, मुख्य न्यायधीश

उपस्थित:

श्री विष्णु कोष्टा, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता

श्री जी.डी. वासवानी, प्रत्यर्थी क्र. 1 के अधिवक्ता।

श्री कुणाल दास, प्रत्यर्थी क्र. 2 से 5 और 7 के अधिवक्ता ।

<u>निर्णय</u>

(उद्घोषित करने का दिनांक 19.03.2012)

1. यह वादीगण की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत दायर की गई द्वितीय अपील है, सप्तम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफटीसी) दुर्ग द्वारा व्यवहार अपील क्र. 3-ए/2002 में दिनांक 21.01.2003 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें षष्टम न्यायाधीश, वर्ग-II दुर्ग द्वारा व्यवहार वाद क्र. 123ए/1991 में दिनांक 05-03-1993 को पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की गई है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

i. स्वर्गीय सीरा सिंह की वंशावली निम्नानुसार है:

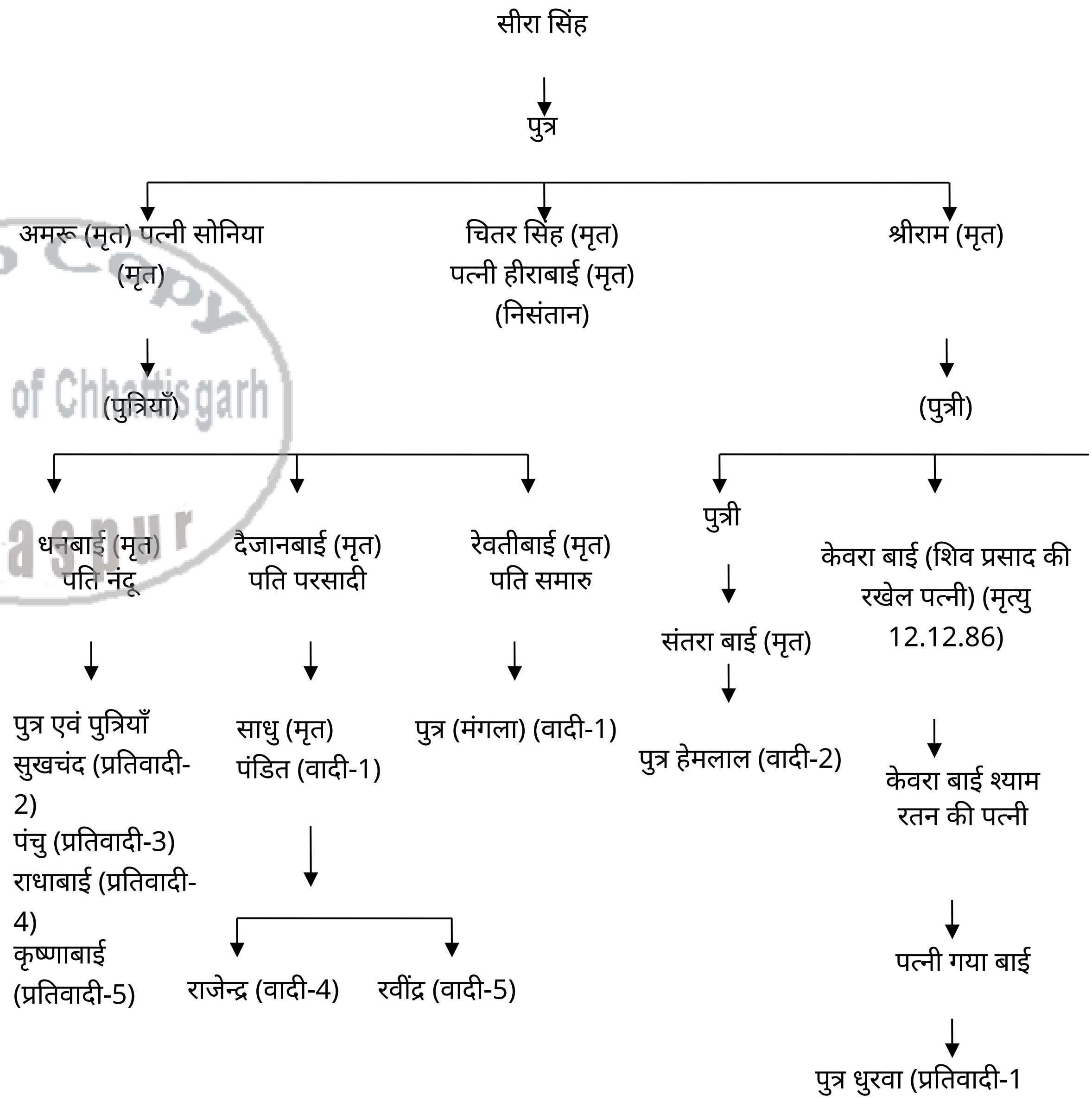

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ii. परसादी की पत्नी दाइजनबाई और समारू की पत्नी रेवती के वंशजों के साथ-साथ शिव प्रसाद की पत्नी केवराबाई के वंशज हेमलाल ने नंदिनी गांव में स्थित 24.98 एकड़ भूमि के संबंध में उद्घोषणा, निषेधाज्ञा और कब्जे की मांग करते हुए विचारण

न्यायालय में व्यवहार वाद दायर किया था। सभी अनुतोष प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र. 1- धुरुवा के विरुद्ध निर्देशित थीं।

iii. अपीलार्थीगण/वादीगण के अनुसार, प्रतिवादी धुरुवा का स्वर्गीय सीरा सिंह की अविभाजित संपत्ति पर कोई स्वत्व नहीं था। किस्तबंदी और खसरा पंचशाला की प्रतिलिपि निकालते समय उन्होंने पाया कि प्रत्यर्थी क्र. 1 धुरुवा का नाम केवराबाई के स्थान पर नामांतरण कर दिया गया है। उन्होंने आगे यह अभिवचन किया था कि धुरुवा ने 5.55 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है और वह सम्पूर्ण संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। यह भी तर्क दी गई कि धुरुवा केवराबाई का पुत्र नहीं है, इसलिए वह संपत्ति में किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है और उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत कूटरचित और गढ़ा हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iv. लिखित कथन प्रस्तुत कर प्रतिवागणों ने वादिगनों के दावे का खंडन किया। प्रतिवागणों के अनुसार, अमरू (स्वर्गीय सीरा सिंह का पुत्र) की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 1956 का अधिनियम कहा जाएगा) के लागू होने से पूर्व हो गई थी और उनका कोई पुरुष वंशज नहीं था। उनकी विधवा सोनियाबाई का संपत्ति में सीमित हिस्सा था और वे केवल हिंदू अविभाजित परिवार की मूल संपत्ति से ही भरण-पोषण की हकदार थीं। अमरू की मृत्यु पश्चात, संपत्ति में उनका हिस्सा स्वर्गीय सीरा सिंह के जीवित पुत्रों, अर्थात चितर सिंह और श्रीराम में न्यागत हो गया। चितर सिंह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए संपत्ति में उनका अविभाजित हिस्सा श्रीराम में न्यागत हुआ और इस प्रकार श्रीराम सम्पूर्ण संपत्ति के पूर्ण स्वामी बन गए। केवराबाई श्रीराम की पुत्री थीं और उनका विवाह श्याम रतन से चूड़ी प्रथा के अनुसार हुआ था। श्याम रतन से चूड़ी विवाह से पूर्व उनका विवाह शिव प्रसाद से हुआ था। शिव प्रसाद से उनकी एक पुत्री संतराबाई थीं और संतराबाई को एक पुत्र हेमलाल हुआ, जो अपीलार्थी/वादी क्र. 2 हैं। केवराबाई ने प्रतिवादी क्र. 1 धुरुवा के पक्ष में

वसीयत निष्पादित की थी। केवराबाई द्वारा निष्पादित उक्त वसीयत के अनुसार, उनकी मृत्यु के बाद, प्रतिवादी क्र. 1 धुरुवा संपूर्ण संपत्ति के एकमात्र स्वामी बन गए। प्रतिवादी क्र. 1 ने वादिगणों के विरुद्ध निषेधाज्ञा और कब्जे की मांग करते हुए एक प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया है।

v. विचारण न्यायालय ने वाद और प्रतिदावे दोनों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धुरुवा (प्रतिवादी क्र. 1) को स्वर्गीय सीरा सिंह की संपत्ति का 2/3 भाग का सह-स्वामि घोषित किया। न्यायालय ने पाया कि सोनिया बाई, यानी अमरू की विधवा, संपत्ति की सीमित स्वामी थीं और राजस्व अभिलेखों में सह-स्वामि के रूप में दर्ज थीं। 1956 के अधिनियम के लागू होने पश्चात, सोनिया बाई अपने पति के हिस्से की पूर्ण स्वामिनी बन गईं। निःसंतान चितर सिंह की मृत्यु पश्चात, चूंकि वर्ग-I के उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनका अविभाजित हिस्सा वर्ग-II के उत्तराधिकारी श्रीराम को प्राप्त हुआ। श्रीराम की मृत्यु पश्चात, वर्ग-I की एकमात्र वैधानिक उत्तराधिकारी केवराबाई, संपत्ति की 2/3 भाग की एकमात्र स्वामिनी बन गईं। चूंकि उन्होंने एक वसीयत निष्पादित की थी, जो विधिवत सिद्ध पाई गई, इसलिए उनकी संपत्ति धुरुवा को प्राप्त हुई, जो वसीयत के तहत लाभार्थी हैं।

vi. विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दो अलग-अलग अपीलें दायर की गईं, एक वादी पक्ष द्वारा और दूसरी धुरुवा द्वारा। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय और आदेश के माध्यम से दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। अतः यह अपील दायर की गई है।

3. इस न्यायालय ने दिनांक 01.07.2010 के आदेश द्वारा निम्नलिखित विधि के सारवान प्रश्नों पर अपील स्वीकार की:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. क्या न्यायालयों ने यह निष्कर्ष देकर विधि की त्रुटि की है कि चितर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके भाई को एक ही पूर्वज सीरा सिंह की संपत्ति का 2/3 हिस्सा का उत्तराधिकारी होगा और सोनिया को केवल 1/3 हिस्सा ही प्राप्त होगा?

ii. क्या विचारण न्यायालयों ने सीरा सिंह के पुत्र चितर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के उत्तराधिकारियों को संपत्ति के न्यागत के लिए सही सिद्धांत लागू किया है?

iii. क्या विचारण न्यायालयों ने वादी क्र. 2 हेमलाल को उसकी मां संतारा बाई (जो केवरा बाई की बेटी थी) के माध्यम से संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित करने में न्यायोचित निर्णय लिया है?

4. अपीलार्थीगण/वादीगण पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कोष्टा ने उपरोक्त तथ्यों का खंडन न करते हुए यह तर्क दिया कि चितर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका हिस्सा अमरू की पत्नी सोनिया और श्रीराम को एक साथ न्यागत हुआ था, इसलिए विचारण न्यायालयों ने यह निष्कर्ष देने में भूल की है कि चितर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका सम्पूर्ण हिस्सा श्रीराम में न्यागत हो गया और श्रीराम संपत्ति में 2/3 हिस्से की स्वामिनी बन गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्र. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जी.डी. वासवानी ने 1956 के अधिनियम की धारा 8 और 9 का संदर्भ देते हुए कहा कि मृतक चितर सिंह का कोई वर्ग-I का विधिक वारिस नहीं था; श्रीराम और सोनियाबाई, दोनों वर्ग-II के वारिस थे; भाई का नाम, अर्थात् श्रीराम का नाम दूसरी प्रविष्टि में आता है, जबकि भाई की विधवा, अर्थात् सोनियाबाई का नाम छठी प्रविष्टि में है; 1956 के अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, वर्ग-I में पहली प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों को दूसरी प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों पर वरीयता दी जाएगी; दूसरी प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों को तीसरी प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों पर वरीयता दी जाएगी, और इसी अनुक्रम में; इसलिए, संपत्ति

में चितर सिंह का हिस्सा केवल श्रीराम को ही मिलेगा, न कि सोनियाबाई, अर्थात् अमरू की विधवा को। विचारण न्यायालयों ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं की है और इस न्यायालय द्वारा निर्मित विधि के सारवान प्रश्न इस मामले में बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न होते हैं।

6. मैंने उभयपक्षों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्क सुनी है, और दोनों विचारण न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया है, जिसमें आक्षेपित निर्णय और डिक्री भी शामिल हैं।

7. 1956 के अधिनियम की धारा 8 और 9 इस प्रकार हैं:

8. <u>पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम-</u> निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी:-

(क) प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं;

(ख) द्वितीयतः, यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं;

(ग) तृतीयतः, यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को; तथा

(घ) अन्ततः, यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक बन्धुओं को ।

9. <u>अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम -</u>

अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों में के वर्ग-I में के वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे; वर्ग-II में की पहली प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा; दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों को तीसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इसी प्रकार आगे क्रम से अधिमान प्राप्त होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. 1956 के अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, निर्वसीयत मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति प्रथमतः, अधिनियम की धारा 8 से संलग्न अनुसूची के वर्ग-1 में विनिर्दिष्ट वारिसों को प्राप्त होगी; द्वितीयत, यदि वर्ग-1 का कोई विधिक वारिस न हो, तो अनुसूची के वर्ग-2 में विनिर्दिष्ट वारिसों को प्राप्त होगी।

9. 1956 के अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों के मध्य, वर्ग-I के वारिसों एक साथ हिस्सा प्राप्त करेंगे और अन्य सभी वारिसों का अपवर्जन करते हुए; वर्ग-II की प्रथम प्रविष्टि के वारिसों को द्वितीय प्रविष्टि के वारिसों की अपेक्षा अधिमान दिया जाएगा, द्वितीय प्रविष्टि वालों को तृतीय प्रविष्टि वालों की अपेक्षा अधिमान दिया जाएगा, और इसी क्रम में वरीयता चलता रहेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. स्वीकृत रूप से, चितर सिंह अपने पीछे केवल दो ही वारिस छोड़ गए थे: उनके भाई अमरू की विधवा सोनियाबाई और उनके भाई श्रीराम। दोनों ही वर्ग-II के वारिस थे। भाई का नाम दूसरी प्रविष्टि में है, जबकि भाई की विधवा का नाम छठी प्रविष्टि में है। 1956 के अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, वर्ग-II में की पहली प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा, दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों को तीसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इसी प्रकार आगे क्रम से अधिमान प्राप्त होगा। अतः, चितर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति में उनका हिस्सा केवल श्रीराम के पक्ष में न्यागत होगा, न कि सोनियाबाई के पक्ष में।

11. स्वीकृत रूप से, केवराबाई श्रीराम की वर्ग-I की विधिक उत्तराधिकारी थीं। उनकी मृत्यु के पश्चात, श्रीराम की संपत्ति में वर्ग-I की विधिक वारिस होने के नाते, पूर्णतः उनका 2/3 हिस्सा पर केवराबाई पर न्यागत होगा। केवराबाई ने प्रतिवादी क्र. 1 धुरुवा के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया था, जिसे दोनों विचारण न्यायालयों द्वारा विधिवत सिद्ध पाया गया था, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात, केवराबाई के हाथों में निहित संपत्ति धुरुवा

पर न्यागत होगी और धुरुवा संयुक्त संपत्ति में श्रीराम के 2/3 हिस्से, अर्थात उनके हिस्से के सह-स्वामी बन जाते। श्रीराम की एकमात्र वारिस होने के नाते, केवराबाई अधिनियम 1956 की धारा 30 के अनुसार, संपत्ति में अपने 2/3 अविभाजित हिस्से का व्ययन करने हेतु सक्षम थीं, यहां तक कि अपने विधिक वारिस का अपवर्जन करते हुए।

12. पूर्वोक्त के आधार पर यह पूरी तरह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालयों ने मामले का सही निर्णय किया है और सही रूप से यह निष्कर्ष दिया है: चितर सिंह की मृत्यु के पश्चात, संयुक्त संपत्ति में उनका हिस्सा उनके भाई श्रीराम पर न्यागत हुआ; श्रीराम की मृत्यु के पश्चात, संयुक्त संपत्ति में 2/3 अविभाजित हिस्सा केवराबाई पर न्यागत हुआ और उनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामा के अनुसार, वही हिस्सा वादी क्र. 2 हेमलाल को अपवर्जित करते हुए प्रत्यर्थी क्र. 1 में न्यागत हुई। तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा निर्मित विधि के सारवान प्रश्नों के उत्तर प्रत्यर्थी क्र. 1 के पक्ष में दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. परिणामस्वरूप, यह अपील गुणदोष एवं सार से रहित होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

15. तदनुसार डिक्री तैयार किया जाए।

सही/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Brijesh Kumar Tiwari